

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8/ज.सं.(नि.)ग्रा.-02/09:-.....राँची, दिनांक:-.....

आदेश

श्री योगेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कोडरमा द्वारा नरेगा अंतर्गत चेकडैम निर्माण योजना में अनियमितता के आरोप में विभागीय संकल्प झापांक-4289 दिनांक-31.07.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है:-

1) श्री सिंह के पेंशन राशि से 5% राशि की कटौती।

अतएव एतद् सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(डॉ. लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

झापांक:- 2278 /राँची, दिनांक:- 25-7-14 /

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/बिहार, पटना/संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री योगेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, महावीर मंदिर के पास, जय महावीर कॉलोनी, सन्दलपुर, पोस्ट-महेन्द्र, पटना-800006 (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।
25.7.14